गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 163वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.11.2023 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 163वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.11.2023 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1.	श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/ अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		अध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद/उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रतिनिधि, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
4.	डिप्टी कलेक्टर, सुश्री ईला प्रकाश प्रतिनिधि, जिलाधिकारी, हापुड,		सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ		सदस्य
6.	श्री कृष्ण मोहन, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ		सदस्य
7.	श्री सतीश चन्द्र गौड, चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर सेल, गाजियाबाद।		सदस्य
8.	श्री राकेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास परिषद, वसुन्धरा।		सदस्य
9.	श्री केशव त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
10.	श्री पवन गोयल		गैर सरकारी सदस्य

27/11/23

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0		विषय	निर्णय
163/1 प्रशासन		प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	मा0 बोर्ड द्वारा सर्व सम्मत्ति से कार्यवृत्त दिनांक 29.09.2023 की पुष्टि की गयी।
163/2 प्रशासन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 162वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 29.09.2023 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	मा0 बोर्ड द्वारा सर्व सम्मत्ति से कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।
163/3 नियोजन		शासन एवं प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना–2031 प्रारूप को भाग–क, ख व ग के रूप में संयोजित करने एवं दुहाई डिपो स्टेशन का इन्फ्लूएन्श जोन लगाये जाने एवं दुहाई स्टेशन के इन्फ्लूएन्श जोन्स में पूर्व से प्रस्तावित कृषि भू–उपयोग को मिश्रित भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के उपरान्त संशोधित महायोजना प्रारूप–2031 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	मैसर्स डी.डी.एफ. कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई संयुक्त महायोजना–2031 प्रारूप (गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर) का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया :– 1. महायोजना–2031 प्रारूप पर दिनांक 23.05.2022 से 30.06.2022, दिनांक 09.12.2022 से 24.12.2022 एवं दिनांक 12.10.2023 से 26.10.2023 के मध्य जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति/ सुझावो पर प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को बोर्ड द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदित किया गया। 2. महायोजना–2021 में 75.00 मी0 चौड़े मोहन नगर से एयरफोर्स स्टेशन मार्ग की चौड़ाई (ROW) को महायोजना–2031 में कम किये जाने या यथावत रखे जाने पर विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अधिसूचना संख्या–3913/8–3–13– यू0ओ0– 213/2011 दिनांक 30.12.2013 द्वारा 13(2) की कार्यवाही की गई है जिसमें इस मार्ग को 30.00 मीटर कर दिया गया है। अवशेष भूमि के भूउपयोग के सम्बन्ध में प्रकरण

शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, वह प्रभावी होगा। वर्तमान में इसकी 75.00 मी0 चौड़ाई (ROW) को यथावत रखा जाये।

3. अवन्तिका योजना के अन्तर्गत धारा–13 की कार्यवाही करते हुए मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर से 24.00 मीटर किये जाने के प्रकरण में 24.00 मीटर मार्ग के उपरान्त शेष भाग को हरित पट्टी के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
4. शासन में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत में बिन्दु सं० (4.2) के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर महायोजना–2021 में प्रदर्शित ग्रामीण आबादी को यथावत रखते हुये महायोजना – 2031 में प्रदर्शित किया जाये।
5. गाजियाबाद महायोजना – 2021 के अर्न्तगत तैयार किये गये जोनल प्लान, जोन–1 के दर्शित भू–उपयोग यथावत रखे जाने का उल्लेख महायोजना मानचित्र –2031 में किया जाये।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हेतु धारा–13 के अन्तर्गत किये गये ऐसे भू–प्रयोग परिवर्तन के ऐसे प्रकरण जिनके अनुसार स्थल पर अभी तक विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं उन प्रकरणों को महायोजना–2031 में समाहित न किया जाये।
7. लोनी महायोजना के ग्राम भन्हेड़ा खुर्द के पूर्व में हिन्डन नदी के किनारे गाजियाबाद महायोजना की निरन्तरता में लोनी महायोजना में हिन्डन नदी के किनारे रिवर फ्रन्ट हेतु भू–प्रयोग प्रदर्शित किया जाये।
8. डी.डी.एफ. कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई महायोजना–2031 प्रारूप मे अनेक स्थानो पर कतिपय त्रुटियां पायी गई, जिन्हे दूर कराते हुए फाईनल ड्राफ्ट को शासनादेश सं0 2112(1)/ आठ–3– 2023 दिनांक 20.09.23 मे दिये गये

			निर्देशो के कम मे उक्त पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महायोजना प्रारूप–2031 का प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

RKSingh
27/11/23

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(राकेश कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ